

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Deputy Conservator of Forest, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

पत्रांक:- 2924/12-1 गोपेश्वर, दिनांक 15 फरवरी 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:- निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:- प्रस्तावित बौला श्रीकोट मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

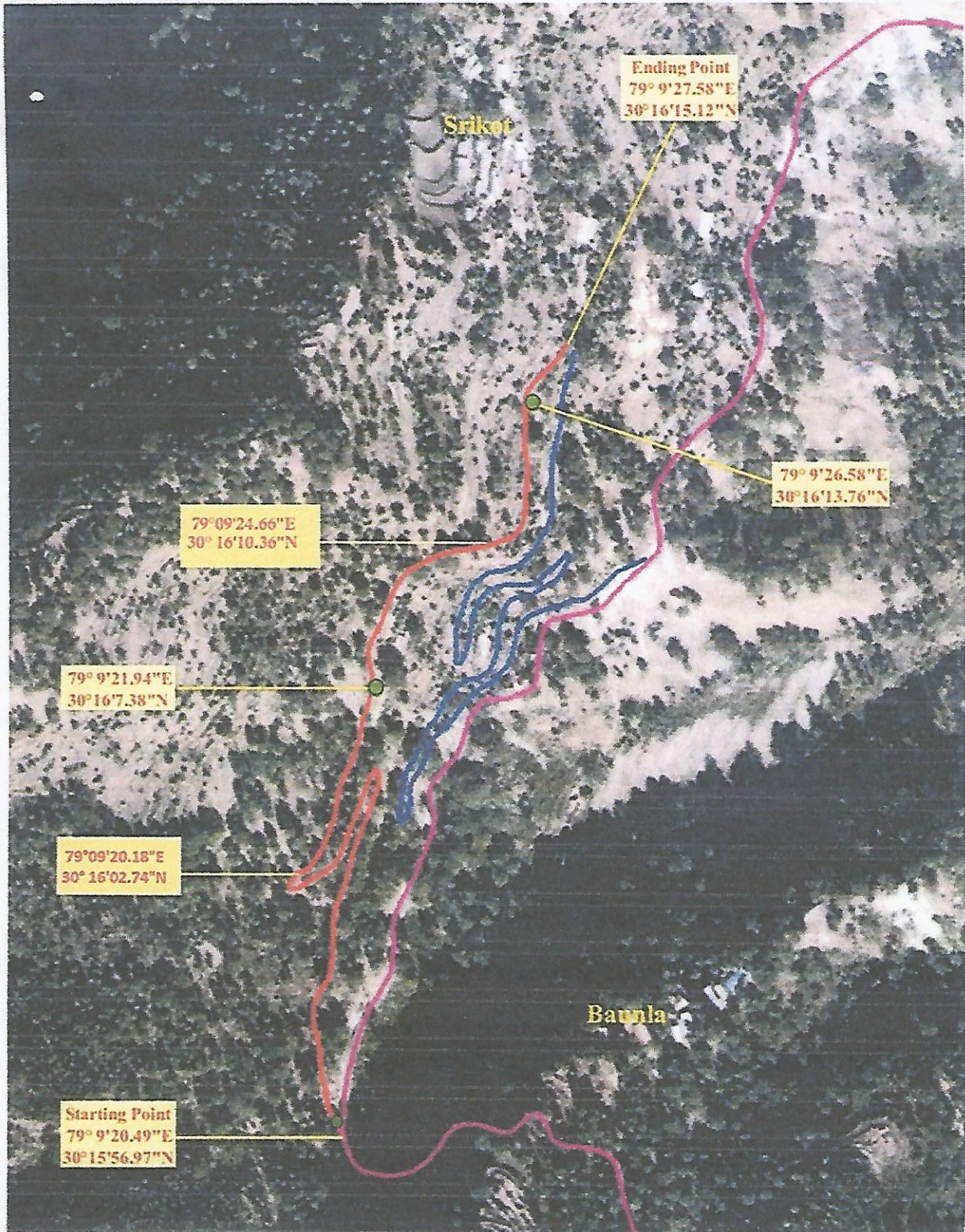
महोदय, विषयाकिति प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है:-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	Plz reply to obj of RO-1. Coordinates should be shown on the map for the road proposed for diversion at every 300m.	प्रस्तावित सररेखण को मानचित्र में 300 मी० में दर्शाया गया है।
2	FRA certificate and its annexure is without mentioning date on it	वन अधिकार अधिनियम प्रपत्र में दिनांक को भर दिया गया।
3	The area proposed for muck dumping is not clear.If it is not included in the area proposed for diversion then incorporate the area accordingly and revise the proposal.	मलवा निस्तारण योजना के याचित क्षेत्रफल को प्रस्तावित मोटर मार्ग के याचित क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।
4	There are 36 trees are mentioned in the tree details in Part II, while in the attachment in Part I, the number of trees to be felled are 37.	पार्ट II में वृक्षों के अन्तर को सही किया गया है।
5	The reason for poor CA stipulation may given.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	. Point 5 and 6 of Part II is not correctly filled.	पार्ट II में बिन्दु संख्या 5 एवं 6 को सही किया गया है।

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

डिजिटल मैप - जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में बोला से श्रीकोटर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



Legend

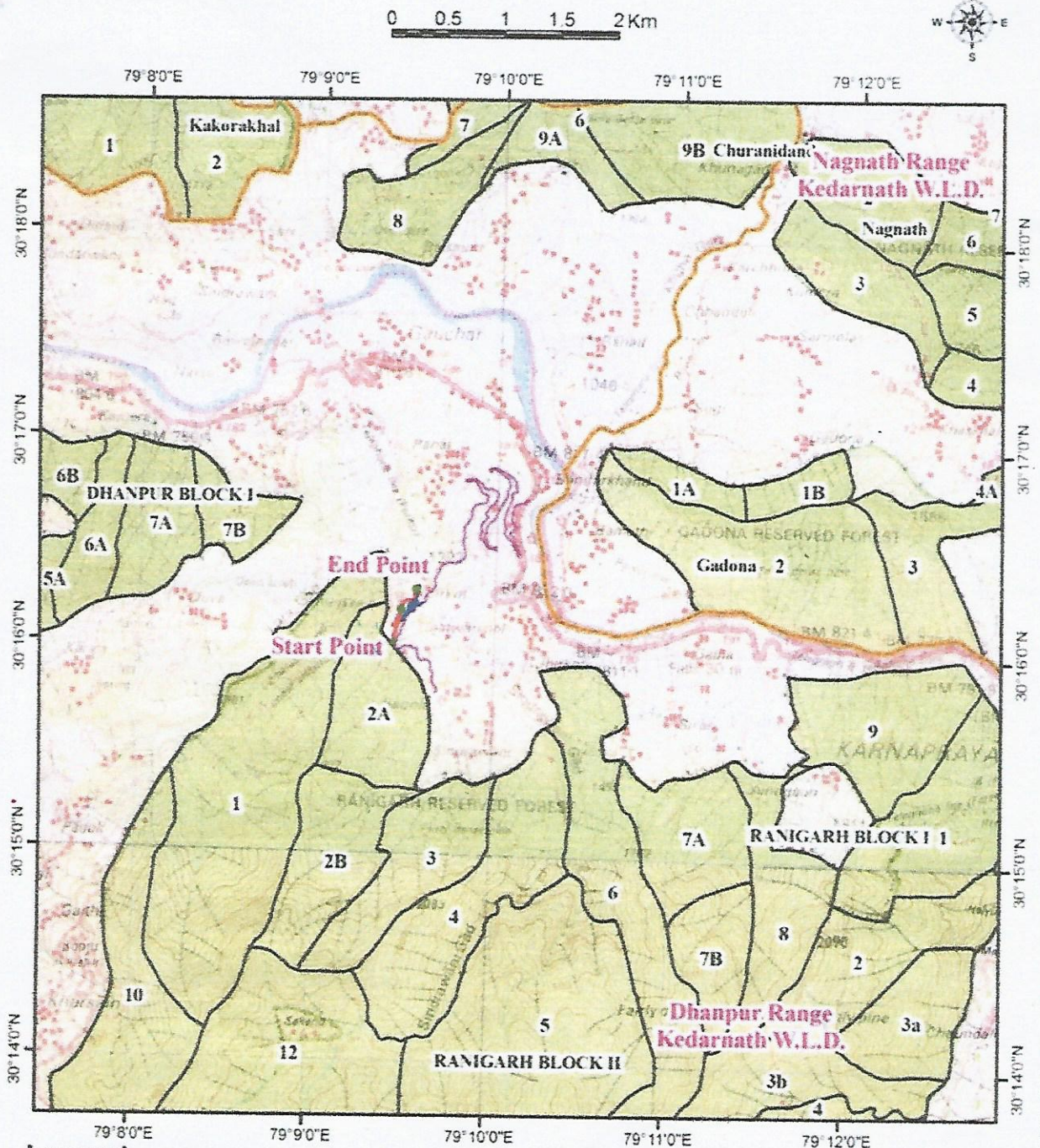
- Dumping Zone
- Alternate Road
- Proposed Road
- Existing Road

जिलाधिकारी,
चमोली

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोरेगढ़ (चमोली)

गौचर (गोपेश्वर)

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में बोला से श्रीकोटर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Alternate Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

AL.
J.E.

AKB
A.E.

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

वन क्षेत्र अधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र (गोपेश्वर)
उप प्रभु वन जीव
गोपेश्वर (गोपेश्वर)

डिजाइनर
चमोली

वि.सि. 2

(19)

प्रपत्र-23.2

ना का नाम :- राज्य-योजना के अन्तर्गत मा. सु. घो. में बौला से प्रीकोट के निवासी हेतु 0.28 हे. एवं मन्की डिस्पोजल हेतु 0.04 हे. वन 0.32 हे. का लो. नि. के को हस्तान्तरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कपड़ावा

सूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कपड़ावा

उपखण्ड कपड़ावा परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा. सु. घो. में बौला से (0.32 हे. आरक्षित वन भूमि, * हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि ... हे. 0.28 हे. एवं मन्की डिस्पोजल हेतु 0.04 हे. 0.32 हे. भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपड़ावा) की दिनांक 16-02-15 को की कार्यवाही का विवरण:-

सूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

विवरण प्रकाश उपजिलाधिकारी R.K. Mirala अध्यक्ष
उप प्रभागीय वनाधिकारी R.O. Ganchar सदस्य
ग्रामाध्यक्ष समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती गोदावरी देवी सदस्य
बीडडीसी क्षेत्र श्रीमती गोदावरी देवी सदस्य

उप जिलाधिकारी द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया

जनजाति के अन्तर्गत मा. सु. की घो. में बौला से प्रीकोट के निवासी हेतु 0.28 हे. एवं मन्की डिस्पोजल हेतु 0.04 हे. वन 0.32 हे. का लो. नि. के को हस्तान्तरण

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग की अनुमति दी गई है।

पालसिंह सदस्य Pal Singh
सुमीला देवी सदस्य Sumila Devi
सदस्य Maharaj

	चिन्ह
	3
4.58	

वन संरक्षक
वन्य जीव प्रभाग
वर (चमोली)

जिलाधिकारी
चमोली
[Signature]

विन्दु 5

परियोजना का नाम — जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री की घोषणा में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बाँला से श्रीकोट तक 0.875 किमी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.280 है० तथा 0.040 है० मक डिस्पोजल हेतु कुल 0.320 है० वन भूमि का लो० नि० वि० को हस्तान्तरण ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु 0.320 है० वन भूमि हस्तान्तरण के ऐबज में हस्तान्तरित होने वाली वन भूमि 1 है० से कम होने के कारण प्रभावित होने वाले 37 वृक्षों के दस गुना 370 वृक्षों के रोपण हेतु गौचर सिदोली मोटर मार्ग के दोनों तरफ विभिन्न स्थानों पर चयनित स्थल क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र (गौचर)


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन अधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

विन्दु 5

परियोजना का नाम — जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री की घोषणा में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बौला से श्रीकोट तक 0.875 किमी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.280 है० तथा 0.040 है० मक डिस्पोजल हेतु कुल 0.320 है० वन भूमि का लो० नि० वि० को हस्तान्तरण ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु 0.320 है० वन भूमि हस्तान्तरण के ऐबज में हस्तान्तरित होने वाली वन भूमि 1 है० से कम होने के कारण प्रभावित होने वाले 37 वृक्षों के दस गुना 370 वृक्षों के रोपण हेतु गौचर सिदोली मोटर मार्ग के दोनों तरफ बिभिन्न स्थानों पर चयनित स्थल क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र (गौचर)


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन अधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर